2022 एस0सी0सी0 आनलाइन उत्तराखण्ड 1833

<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल</u>

(समक्ष– मनोज के. तिवारी जे)

संदीप ममगाई ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड सेवा चयन आयोग और अन्य.....प्रत्यर्थीगण

रिट याचिका (एस/एस) संख्या 1284/2021

11 जुलाई, 2022 को निर्णीत

इस मामले में पेश हुये अधिवक्ता :

श्री एम0सी0 पन्त, अधिवक्ता द्वारा

श्री पंकज पुरोहित, प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता और श्री सी0एस0 रावत उत्तराखण्ड राज्य के विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा।

जिसके द्वारा न्यायालय का निर्णय किया गया

मनोज के0 तिवारी, जे0:– याचिकाकर्ता उत्तराखण्ड पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है। उन्होंने प्लाटून कामांडर और रैंकर, उपनिरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये उत्तराखण्ड सेवा चयन आयोग, (जिसे आगे ''चयन निकाय'' के रूप में संदर्भित किया है) द्वारा आयोजित एक चयन में भाग लिया। याचिकाकर्ता को लिखित परीक्षा में असफल घोषित किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, चयन निकाय द्वारा प्रकाशित उत्तर कुंजी में दो प्रश्नों के उत्तर गलत हैं और यदि उन उत्तरों को सही किया जाता है, तो याचिकाकर्ता का नाम सफल उम्मीद्वारों में शामिल होगा।

2. याचिकाकर्ता ने पूर्व में डब्ल्यूपीएसएस संख्या 829/2021 दायर किया गया था, जिसका निपटारा इस न्यायालय की समन्वयक पीठ द्वारा दिनांकित आदेश 15.07.2021 से चयन निकाय को निर्देशित किया गया कि प्रश्न पुस्तिका श्रंखला 'ग' में याचिकाकर्ता के वर्णित प्रश्न संख्या 53 और 65 से सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में याचिककर्ता के प्रतिनिधित्व का निर्णय छः माह के भीतर करे।

3. उक्त आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को विचार में लिया गया तथा चयन निकाय के सचिव द्वारा दिनांक 27.08.2021 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार व्यथित महसूस करते हुये याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग करते हुये इस न्यायालय में आया है:–

(i) विवादित कार्यालय ज्ञापन 27.08.2021 को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, अवैध घोषित करने और याचिका में उजागर किये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुये उसे रद्द कर अथवा उचित अनुतोष हेतु उत्प्रेषण परमादेश की प्रकृति में रिट नियम या निर्देश जारी किये जाये।

(ii) प्रश्न पुस्तिका श्रंखला 'ग' के प्रश्न संख्या 53 व 65 के उत्तरों की शुद्धता पर विचार करने और सत्यापति करने के लिए एवं स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय नियुक्त करने के लिए अनिवार्य प्रकृति में उचित रिट, परमादेश या निर्देश जारी करें, जो प्रश्न सख्या 53 के विकल्प (ग) को सही माने और प्रश्न संख्या 65 को तकनीकि रूप से गलत, और याचनाकर्ता को योग्य घोषित करें और योग्यता सूची को फिर से तैयार करे या वैकल्पि रूप से याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये प्रश्न संख्या 53 और 65 के उत्तर को सही मानते हुये याचिकाकर्ता को उच्च योग्यता पर स्थान पाने के लिए पात्र घोषित करे।

(iii) उत्तरदाता संख्या–1 से याचिकाकर्ता को नुकसान और मुआवजा का जवाब देने के लिए

उपयुक्त प्रकृति की एक रिट, नियम या निर्देश जारी किये जायें और विशेष रूप से गलती करने वाले व्यक्ति से उसके मनमाना, बदनीयत और दुर्भाग्यपूर्ण कार्य के कारण और मुआवजे की राशि का निर्धारण इस माननीय न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मामलों और गलती करने वाले अधिकारियों की निर्धारित और जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में एक स्वतत्र एजेंसी नियुक्त करके स्वतंत्र जांच करायी जाये और उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जाये।

4. विवादित निरस्त आदेश में कहा गया है कि लिखित परीक्षा के तुरंत बाद अनंतिम उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई और आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। तथापित याचिकाकर्ता ने प्रश्न पुस्तिका श्रंखला 'ग' के प्रश्न संख्या 53 और 65 के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। हालांकि कुछ अन्य उम्मीद्वारों ने इन सवालों के विरूद्ध आपत्तियां दर्ज की थी, परन्तु विषय विशेषज्ञों ने आपत्तियों में सार नहीं पाया और अनंतिम उत्तर कुंजी में दिये गये प्रश्न संख्या 53 और 65 के उत्तर को यथावत बनाये रखा गया। अग्रेतर कथन किया गया है कि प्रश्न पत्र तैयार करना, प्रश्नों का परिनियमन और प्रश्नों/उत्तरों की आपत्ति पर निर्णय विषय विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार आयोग द्वारा किया जाता है और जैसा कि विषय विशेषज्ञों की राय थी कि पूर्वोक्त में दो प्रश्नों के सम्बन्ध में उत्तर कुंजी में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिये यहां याचिकाकर्ता द्वारा की गयी आपत्ति में कोई सार नहीं पाया गया।

5. प्रश्न पुस्तिका श्रंखला 'ग' के प्रश्न संख्या 53 और 65, जिसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, इस प्रकार है–

53. पुलिस अधीक्षक श्रेणी व उससे उच्च पद के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है?

(क)	राज्यपाल	(ख)	गृहमंत्री
(ग)	राष्ट्रपति	(घ)	मुख्यमंत्री

65. उत्तराखण्ड पुलिस विनियमन के अनुसार पी0 आर0 स्लिप का पूर्ण रूप है–

(क)	पेटेन्ट रजिस्टर्ड स्लिप	(ख)	प्री रजिस्टर्ड स्लिप
(ग)	पुलिस रजिस्टर्ड स्लिप	(घ)	प्रोग्राम रिकॉर्ड स्लिप

6. याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उसने दोनों प्रश्नों का सही उत्तर दिया था। हालांकि चयन निकाय की ओर से हुई त्रुटि के कारण उसे नुकसान हुआ क्योंकि आयोग ने गलत उत्तर को सही मान लिया।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर विकल्प 'ग' है, जबकि प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर विकल्प 'ख' है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार चयन निकाय की ओर से गलती के कारण याचिकाकर्ता को न केवल अंकों का नुकसान हुआ, जो कि वह सही उत्तर देने पर हकदार था, बल्कि उसे उपरोक्त दो प्रश्नों में से प्रत्येक के लिये 0.25 अंकों का नकारात्मक अंकन भी झेलना पड़ा, जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ता के अंक काफी कम हो गये, उसका चयन नहीं हो सका।

8. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एम0सी0 पन्त ने अपने तर्क के समर्थन में भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 2 के खण्ड (ग) पर विश्वास व्यक्त करते हुये कथन किया कि प्रश्न सख्या 53 का विकल्प 'सी' सही उत्तर है। उक्त नियमों का नियम 2 (ग) इस प्रकार है–

''2 (ग) 'भारतीय पुलिस के सदस्य' का अर्थ है एक व्यक्ति जिसे भारत में 'राजा' के तहत पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया है, जिसे भारतीय पुलिस के रूप में जाना जाता है, इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय और उसके बाद भारत या राज्य सरकार के अधीन सेवा जारी रखता है।

9. उक्त नियमों के नियम 2 (ग) का अवलोकन याचिकाकर्ता की ओर से किये गये तर्क का समर्थन नहीं करता है, क्योकि कही भी यह प्रावधानित नहीं है कि पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ रैंक के अन्य पुलिस अधिकारी के सम्बन्ध में राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

10. श्री पंकज पुरोहित, चयन निकाय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उपरोक्त नियमों का नियम 2 (ग) भारतीय पुलिस के अधिकारियों से संबन्धित है, जिन्हें स्वतंत्रता से पहले सेवा में नियुक्त किया गया था, लेकिन उक्त नियमों के लागू होने के बाद उनके द्वारा सेवा करना जारी रखी गयी। उनका आगे तर्क है कि अब आई0पी0एस0 के सदस्यों की भर्ती यू0पी0एस0सी0 के माध्यम से होती है और केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। हालांकि पुलिस अधीक्षक या अन्य उच्च रैंक के रूप में उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उनका आगे तर्क है कि राज्य पुलिस सेवा के सदस्यों को राज्य में पुलिस अधीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है, इसलिये विकल्प 2 (ग) प्रश्न संख्या 53 का सही उत्तर नहीं हो सकता।

11. प्रश्न संख्या 65 के संबन्ध में भी श्री एम0सी0 पंत याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उक्त प्रश्न ठीक से तैयार नहीं किया गया है, क्योंकि उत्तराखण्ड पुलिस विनियमन अभी तक लागू नहीं किया गया है, जब कि प्रश्न ''उत्तराखण्ड पुलिस विनियमन'' को संदर्भित करता है, इसलिये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है और हटाये जाने योग्य है।

12. इसके विपरीत श्री पंकज पुरोहित, चयन आयोग की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि लिखित परीक्षा के तुरंत बाद अनंतिम उत्तरकुंजी प्रकाशित की गयी थी तथा अनंतिम उत्तर कुंजी में दिये गये प्रश्नों की रूपरेखा या उत्तरों के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने के लिये सभी उम्मीद्वारों को अवसर दिया गया था। हालांकि याचिकाकर्ता ने अवसर होने के बावजूद कोई आपत्ति नहीं की इसलिये उन्हें प्रश्न संख्या 65 में गलती का तथ्य उठाने से रोक दिया गया। उन्होंने आगे कथन किया कि विशेषज्ञ समिति ने सभी प्रश्नों के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार किया था। अंतिम उत्तर कुंजी 19.03.2021 को प्रकाशित की गयी थी। उन्होंने ने आगे कहा कि लिखित परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों की शुद्धता के बारे में मुद्दा न्यायसंगत नहीं है।

13. यह सुस्थापित है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय शैक्षिक मामलों के विषय विशेषज्ञ की भूमिका ग्रहण नहीं कर सकता तथा यह तय नहीं कर सकता कि विषय विशेषज्ञ द्वारा सही माना गया प्रश्न/उत्तर वास्तव में सही है या नहीं। दूसरे शब्दों में यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति को प्रयोग करते हुये विषय विशेषज्ञों द्वारा दिये गये निर्णय पर अपील नहीं सुन सकता।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एच0पी0 लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर, (2010) 6 एस0सी0सी0 759 के मामले में यह निर्धारित किया है

''20 उपरोक्त के दृष्टिगत उच्च न्यायालय के लिये यह अनुमन्य नहीं था कि न्यायालय प्रश्नपत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच स्वयं करे। विशेषतः जब आयोग में खुद से उम्मीद्वारों की मेरिट का आंकलन किया था। यदि प्रश्न तैयार करने या उत्तर के मूल्यांकन में कोई विसंगति थी, तो यह परीक्षा में बैठने वाले सभी उम्मीद्वारों के लिये हो सकती है न कि केवल उत्तरदाता 1 के लिये। यह संजोग की बात है कि उच्च न्यायालय कानून से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर रहा था। क्या यह भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे अन्य विषय के लिये हो पाता, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि क्या इस तरह की कार्यप्रणाली को उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया जा सकता था। इसलिये हमारी सुविचारित राय है कि उच्च न्यायालय को इस तरह की कार्यप्रणाली की अनुमति नहीं थी।

15. इस प्रकार, यह न्यायालय प्रश्न पत्रों में विसंगतियों की जांच करने और उसके मूल्यांकन के लिये परीक्षक या चयन निकाय का कार्य अपने ऊपर नहीं ले सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार–बार यह कहा गया है कि संवैधानिक न्यायालयों को अकादमिक मामलों में विषय विशेषज्ञ की राय पर अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित करने में बेहद अनिच्छुक होना चाहिये। माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाम खुशबू श्रीवास्तव (2014) 14 एस0सी0सी0 523 में निर्धारित किया हैः–

''11 हमारे विचार में, न तो विद्वान एकल न्यायाधीश न ही उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय खण्डपीठ परीक्षकों के लिये अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित कर सकती थी तथा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में उत्तरदाता 1 को दो उत्तरों के लिये दो अतिरिक्त अंक दिये गये। ये विशुद्ध रूप से शैक्षिक मामले हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एण्ड हायर सेकेण्ड्री ऐजुकेशन बनाम पारितोष भुपेश कुमार सेठ मामले में इस अदालत ने कहा है :

''29 जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार–बार इंगित किया गया है कि पेशेवर व्यक्ति, जिनके पास शैक्षणिक संस्थानों और उसे निर्देशित करने वाले विभागों में दिन प्रतिदिन कार्य करने की विशेषज्ञता और प्रचुर अनुभव है, के शैक्षिक मामलों में विचारों पर न्यायालय को अपने विचारों को तरजीह देकर उसे स्थानापन्न करने से अत्यंत अनिच्छुक रहना चाहिये कि क्या प्रज्ञ, विवेकीय और उचित है। अदालत के लिये यह पूरी तरह से गलत होगा कि वह इस प्रकृति की समस्याओं के लिये एक पांडित्यपूर्ण और विशुद्ध रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाये, जो प्रणाली के काम करने में निहित वास्तविक, वास्तविकताओं ओर जमीनी समस्याओं से अलग हो और उन परिणामों से बेपरवाह हो जो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण के विपरीत विशुद्ध रूप से आदर्शवादी दृष्टिकोण प्रतिपादित किये जाने पर उत्पन्न होंगे।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गये एक फैसले विकेश कुमार गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य में (2021) 2 एस0सी0सी0 309 में निर्धारित किया गया है यह दोहराया गया है कि विशेषज्ञ समिति की राय से भिन्न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये प्रश्नों और उत्तर कुंजी की

शुद्धता को परीक्षित करना उच्च न्यायालय के लिये खुला नहीं है। यह आगे कहा गया है कि सही उत्तर पर पहुंचने के लिये न्यायालय को स्वयं प्रश्नों का आंकलन करने की अनुमति नहीं है। उपरोक्त फैसले का प्रासंगिक पैरा नीचे दिया गया है।

''17 उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि अदालतों को शैक्षिणक मामलों में विशेषज्ञ की राय में दखल देने में बहुत धीमी गति से काम करना चाहिये। किसी भी स्थिति में, सही उत्तरों पर पहुंचने के लिये अदालतों द्वारा स्वयं प्रश्नों का आंकलन करने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों को अंतिम रूप देने में देरी मुख्य रूप से न्यायालयों में लंबित चयनों को चुनौति देने वाली याचिकाओं के कारण होती हैं। नियुक्तियों में देरी का व्यापक प्रभाव अस्थायी आधार पर नियुक्त लोगों की निरंतरता और नियमितिकरण के उनके दावों के कारण होता है। सार्वजनिक पदों पर देरी से नियुक्तियों के परिणाम स्वरूप होने वाले दूसरा परिणाम पर्याप्त कर्मियों की कमी के कारण प्रशासन को होने वाली गम्भीर क्षति है।

17. मैं चयन निकाय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदन में सार पता हूं कि याचिकाकार्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा न्यायसंगत नहीं है। न्याय समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में यह न्यायालय विषय विशेषज्ञ द्वारा लिये गये निर्णय पर अपील में नहीं बैठ सकता है। कौन सा विकल्प किसी विशेष प्रश्न का सही उत्तर है, इसका निर्णय विषय विशेषज्ञ को करना होता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय द्वारा किसी प्रश्न की शुद्धता पर भी विचार नहीं किया जा सकता है। सुस्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुये, यह न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने से मना करती है। जैसा कि रिट याचिका में दावा किया गया है, राहत प्रदान नहीं की जा सकती।

18. तद्नुसार रिट याचिका विफल हो जाती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अंतरिम आदेश दिनांक 07.10.2021 निरस्त किया जाता है।